

प्रेस नोट – थाना कादरीगेट

दिनांक :- 28.09.2023

थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा शातिर अपराधी को 01 अवैध देशी तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कादरीगेट द्वारा मुखविर की सूचना पर थाना कादरीगेट पर पंजीकृत मु0अ0सं- 238/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सजन सिंह पुत्र सर्वेश सिंह निवासी लकूला गिहार थाना कादरीगेट को दिनांक- 27.08.2023 को समय करीब 22.00 बजे महाकाल मन्दिर के पास पांचालघाट थाना कादरीगेट से 01 देशी तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज सहित गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. सजन सिंह पुत्र सर्वेश सिंह निवासी लकूला गिहार थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं तमंचा अपने दोस्तों पर रौब जमाने के लिए रखता हूँ। आगे कुछ बताने से इंकार करते हुए अपना पक्ष वकील के माध्यम से मा0 न्यायालय में रखना बताया।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 देशी तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज।

अभियुक्त सजन सिंह का आपराधिक इतिहास :-

1. मु0अ0सं0 225/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं0 814/22 धारा 457/380/411 भादवि कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
3. मु0अ0सं0 65/22 धारा 457/380/411 भादवि कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
4. मु0अ0सं0 72/22 धारा 41 सीआरपीसी व 414/411 भादवि कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
5. मु0अ0सं0 326/22 धारा 457/380 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
6. मु0अ0सं0 238/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तारी/बरामद करने वाली थाना कादरीगेट टीम:-

1. उ0नि0 श्री अमित कुमार शर्मा
2. हे0का0 संतोष कुमार
3. का0 योगेश कुमार





